2ि. 5828 | आ० वा० | 2018
28.8.18

सख्याः 1527/आठ–1–18–106विविध/2018

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.**आवास आयुक्त,** उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2.**समस्त उपाध्यक्ष,** विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3.**समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी,** औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4.**अध्यक्ष,** समस्त विषेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5.**नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,** समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ दिनांक २५ अगस्त, 2018**

विषय :प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018–2021) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1294/आठ–1–18–106विविध /2018 दिनांक 20 जुलाई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं के चयन में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत कतिपय कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निर्गत निर्देश के बिन्दु संख्या–4 को सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः–

"अभिकरणों द्वारा आवास बन्धु के माध्यम से तैयार कराये गये मॉडल आर.एफ.क्यू.–कम–आर. एफ.पी. को प्रधानमंत्री आवास योजना नीति की शर्तों का ध्यान में रखते हुए, स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित कर, प्रथम निविदा एक सप्ताह के अन्दर आमंत्रित की जायेगी। लक्ष्यों की पूर्ति प्रथम बार में सुनिश्चित न होने की दशा में प्रत्येक 15 दिवस पर पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी जब तक लक्ष्य की पूर्ति न हो जाए।"

3– उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक : नोडलवार/प्राधिकरण का विवरण।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव

E/E-PMAY/GO 17

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
6- निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
7- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
8- निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
9- समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

24.8.18

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव

E:/ E/PMAY/G.O.17

सख्या:1571/आठ–1–18–106विविध/2018

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2–समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4–अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5–नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 29 अगस्त, 2018

विषय :प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप) योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण हेतु ऑन–लाइन आवेदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप) योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा निजी विकासकर्ताओं द्वारा दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण किया जा रहा है।

2– उल्लेखनीय है कि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–93/आठ–1–16–04विविध/16 दिनांक 15 जनवरी, 2016 के बिन्दु–2 (2) में निर्देशित किया गया है कि "योजना में आवंटन हेतु पंजीकरण अभिकरण की वेबसाइट पर ऑन–लाइन ही किया जाये तथा योजना के मुख्य–मुख्य आकर्षण बिन्दु का भी उल्लेख किया जाये"। तदनुसार ही कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप) योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण हेतु अभिकरण की वेबसाइट पर ऑन–लाइन आवेदन प्राप्त किया जा रहा है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण की भांति समस्त अभिकरणों द्वारा अपनी वेबसाइट पर पंजीकरण हेतु ऑन–लाइन आवेदन प्राप्त कर, पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाये।

उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव

Scanned by CamScanner

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।

3– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।

6– निदेशक, सूडा, उ0प्र0।

7– निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।

8– समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।

9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव

Scanned by CamScanner